छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

कार्यपालिका एवं वित्त समिति की आपातकालीन संयुक्त बैठक दिनांक 22–02–2016 का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की आपातकालीन संयुक्त बैठक दिनांक 22–02–2016 को अपरान्ह 4:00 बजे एकीकृत भवन के सभा कक्ष में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1. श्री के.डी.पी.राव, IAS – अध्यक्ष
2. श्री भोजराज नाग – सदस्य
3. श्री सुधीर गौतम – सदस्य
4. श्री अनिरूद्ध द्विवेदी – सदस्य
5. श्री बी.आर.शर्मा – सदस्य
6. श्री ओंकार सिंह – सदस्य
7. श्रीमती मधुलिका तिवारी – सदस्य
8. श्री सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव – सदस्य
(वित्त विभाग, छ.ग.शासन का प्रतिनिधि)
9. श्री जे.पी. रथ संयुक्त संचालक – सदस्य
(संचालनालय, लोक शिक्षण विभाग का प्रतिनिधि)
10. श्रीमती दीप्ति बैनर्जी, उप संचालक – सदस्य
(आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रतिनिधि)
11. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, IFS – सचिव

समिति के समक्ष निम्नानुसार विषय विचारार्थ प्रस्तुत किये गये एवं विचारोपरान्त लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

विषय कमांक 01– पूर्व बैठक दिनांक 10–09–2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

पूर्व बैठक दिनांक 10–09–2015 के कार्यवाही विवरण से अवगत कराये जाने के उपरांत लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। **(कार्यवाही सर्व संबंधित कक्ष)**

विषय क्रमांक 02– इस वर्ष 2015–16 के 9वीं तथा 11वीं की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्थान पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजन के संबंध में।

छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क. एफ 6–61/2014/20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 19–2–2016. के तहत राज्य शासन ने एकतरफा निर्णय लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पूर्व से निर्धारित अप्रैल 2016 में सम्पन्न होने वाले 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाओं का आयोजन को अधिक्रमित कर इन परीक्षाओं को स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कराने के आदेश जारी किया है। जिसमें प्रश्न पत्र तैयार करवाने, परीक्षा आयोजन एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्पन्न होगा।

उपरोक्त संबंध में चूँकि उक्त आदेश शासन द्वारा अचानक तथा अत्यंत विलंब से जारी किया है। अतः माध्यमिक शिक्षा मण्डल के परीक्षा प्रणाली, परीक्षा आयोजन, परीक्षा परिणाम की घोषणा आदि की वार्षिक कलेण्डर पर विपरीत असर पड़ने से इस संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु मण्डल की कार्यपालिका एवं वित्त समिति को निम्नानुसार अवगत कराया जाता है :–

(1) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय वर्ष 2014 में लिया गया था, और तदनुसार जो हर वर्ष माह अप्रैल में परीक्षायें सम्पन्न होते हैं। चूँकि माह मार्च में 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षायें सम्पन्न होने से माह मार्च में व्यवहारिक रूप से कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा आयोजन किया जाना संभव नहीं है।

(2) इस वर्ष राज्य शासन द्वारा आगामी शिक्षा सत्र 2016–17 दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए 01 अप्रैल के पहले 4 परीक्षायें अर्थात 10वीं, 12वीं तथा 9वीं, 11वीं की परीक्षाओं को आयोजित कर परिणाम घोषित करना संभव नहीं था। मण्डल के अनुमोदित उक्त परीक्षा समय सारिणी से शासन को दिनांक 23–09–2015 द्वारा अवगत कराया गया था, लेकिन शासन से कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

(3) 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा का आयोजन इस वर्ष माह 31 मार्च के पूर्व आयोजन के संबंध में माननीय मंत्री जी, शालेय शिक्षा विभाग, सचिव, शालेय शिक्षा विभाग, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के बीच दिनांक 08–12–2015 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में हुई सहमति अनुसार मण्डल की ओर से शासन को दिनांक 09–12–2015 को यह सूचित करते हुए आश्वस्त किया गया कि चूँकि मण्डल द्वारा इन परीक्षाओं के आयोजन इस वर्ष माह मार्च में करना संभव नहीं होने से, केवल इस वर्ष के लिए माह अप्रैल में 8 से 18 तक 9वीं एवं 11वीं की परीक्षायें आयोजित होंगे, परन्तु आगामी सत्र 2016–17 में शासन के मंशानुसार माह मार्च में ही परीक्षा सम्पन्न किया जावेगा।

(4) उपरोक्त सूचना के लगभग ढाई माह पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा इन परीक्षाओं के आयोजन की सम्पूर्ण तैयारी कर लिया गया है और प्रश्न–पत्र मुद्रण का कार्य लगभग पूर्ण होकर प्रश्न पत्र मार्च द्वितीय सप्ताह तक मण्डल को वितरण हेतु प्राप्त हो जावेंगे। गोपनीय मुद्रणकर्ता से सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अनुबंध किया गया है जो कि, एक न्यायिक अनुबंध है। इतना ही नहीं इस कार्य हेतु अनुबंध अनुसार धन राशि भी मण्डल द्वारा भुगतान करनी होगी। यदि राज्य शासन द्वारा प्रश्नाधीन आदेश मण्डल द्वारा प्रेषित की गयी सूचना दिनांक 09–12–2015 के तुरंत पश्चात् पारित किया जाता, तो मण्डल 9वीं 11वीं की परीक्षा तैयारी की कार्यवाही समय पर रोक देता। जिससे उपरोक्त वित्तीय व्यय को बचाया जा सकता था। राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त आदेश पारित करते वक्त भी मण्डल से अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं लिया।

(5) संदर्भ कमांक (3) द्वारा दिनांक 22–02–2016 को और एक पत्र प्रेषित कर उपरोक्त 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा के संबंध में मण्डल द्वारा शालाओं से प्राप्त की गयी राशि को दिनांक 25–02–2016 तक अनिवार्य रूप से जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को हस्तांतरण करने का निर्देश दिया है। शासन का ये निर्देश अनुसार कार्यवाही किया जाना मण्डल के लिए ऊपर वर्णित कारणों से संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यात्मिक स्थिति के मद्देनजर मण्डल को वित्तीय हानि से बचाने हेतु कार्यपालिका एवं वित्त समिति से उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के बैठक में सदस्यों द्वारा निम्नानुसार मत व्यक्त कियाः–

श्री ओंकार सिंह, मण्डल सदस्य ने यह व्यक्त किया कि छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये। यह खेदजनक है। चूंकि यह बैठक स्कूल शिक्षा विभाग के प्रश्नाधीन पारित आदेश के संबंध में आयोजित किया गया है।

श्री जे.पी. रथ, उप संचालक, संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने यह व्यक्त किया चूंकि 9वीं एवं 11वीं का प्रश्नपत्र मण्डल द्वारा मुद्रण कराया जा चुका है। अतः जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दोबारा 9वीं एवं 11वीं के प्रश्नपत्र मुद्रण करवाने के बजाय मण्डल द्वारा तैयार की गई प्रश्न–पत्रों को एक ही समय–सारिणी में जिला स्तर पर उपयोग कर, परीक्षायें आयोजन किया जा सकता है। विभाग इस संबंध में सहयोग करेगा।

श्री सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव छ.ग.शासन, वित्त विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने यह व्यक्त किया है कि भले ही स्कूल शिक्षा विभाग जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों से परीक्षाओं का आयोजन करें। लेकिन जहाँ तक छात्र/छात्राओं से मण्डल द्वारा वसूल की गई 9वीं एवं 11वीं परीक्षा शुल्क राशि वापस करने का सवाल है यह व्यवहारिक नहीं होगा। इसके बजाय चूंकि मण्डल ने उक्त राशि से 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाओं हेतु प्रश्नपत्रों के मुद्रण की कार्यवाही सम्पन्न करायी है, अतः स्कूल शिक्षा विभाग इन प्रश्नपत्रों को प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर 9वीं एवं 11वीं के परीक्षाओं का आयोजन करें या फिर इन प्रश्नपत्रों के मुद्रण कार्य में जो व्यय की गई है उसकी भरपाई मण्डल को करे, ऐसा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शासन को सूचित करना उचित होगा।

श्री सुधीर गौतम, मण्डल सदस्य ने कहा कि 9वीं एवं 11वीं के परीक्षाओं का आयोजन के संबंध में निर्णय 20.05.2014 में लिया गया। तद्नुसार पिछले वर्ष भी 9वीं एवं 11वीं की परीक्षायें आयोजित की गई। परन्तु शासन ने कभी इस संबंध में रोक नहीं लगाई और अचानक इस प्रकार एकाएक निर्णय लेकर मण्डल से इन परीक्षाओं को करने का अधिकार मण्डल से वापस लेते हुये स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है। परन्तु इस पर मण्डल द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य और प्रश्नपत्रों हेतु किये गये व्यय की भरपाई शासन को करना होगा, इससे बेहतर यह होगा कि इन्हीं प्रश्नपत्रों को जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपयोग कर स्थानीय स्तर पर 9वीं एवं 11वीं की परीक्षायें आयोजित करें। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग को पृथक से माह–मार्च में अपनी सुविधानुसार सम्पूर्ण राज्य में इन परीक्षाओं को एक ही समय में आयोजित करने के लिये समय–सारिणी तैयार कर, कार्यवाही कर सकता है। ऐसा शासन को सूचित करना उचित होगा।

श्रीमती मधुलिका तिवारी, मण्डल सदस्य ने कहा कि दिनांक 19.02.2016 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें 9वीं एवं 11वीं के परीक्षाओं के आयोजन स्थानीय स्तर पर करने के निर्देश दिये। परन्तु इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधित्व करने हेतु, मण्डल की ओर से किसी को आमंत्रित नहीं की गई, यह उचित नहीं है। इस कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। मण्डल द्वारा परीक्षाओं के आयोजन हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही की जा चुकी है और काफी व्यय भी इसमें संभावित है। अतः स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मण्डल से इन परीक्षाओं के

आयोजन हेतु राशि वापस करने की मांग तर्कसंगत नहीं है और न ही व्यवहारिक है, अतः मण्डल द्वारा तैयार किये गये 9वीं एवं 11वीं के प्रश्नपत्रों को स्थानीय स्तर पर उपयोग कर, परीक्षायें आयोजन किया जा सकता है। विभाग चाहे तो मार्च माह में बोर्ड परीक्षाओं के साथ–साथ 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा भी सम्पन्न कर सकता है।

श्री भोजराज नाग, विधायक एवं मण्डल सदस्य ने भी सदस्यों के इस मत से सहमत होते हुये उपरोक्तानुसार शासन को सूचित करने हेतु सुझाव दिया है।

समिति के सदस्यों ने एक मत से अपनी राय व्यक्त किया है कि मण्डल को होने वाली वित्तीय व्यय को बचाना आवश्यक है।

कार्यपालिका एवं वित्त समिति द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर विस्तृत विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया है :–

चूँकि राज्य शासन का उपरोक्त निर्देश एकतरफा होकर अत्यधिक विलंब से प्राप्त होने के कारण तथा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा आयोजन की सम्पूर्ण तैयारी मण्डल द्वारा सम्पन्न होने के फलस्वरूप शासन का उक्त आदेश मण्डल के हितों के विपरीत है। क्योंकि अब जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 9वीं एवं 11वीं के लिये प्रश्न पत्र मुद्रण करवाया जाना हो तो मण्डल द्वारा मुद्रित करवाये गये 9वीं एवं 11वीं के प्रश्न पत्र अनुपयोगी हो जायेंगे तथा गोपनीय मुद्रणकर्ता को अनावश्यक भुगतान भी करना होगा। इसका भरपाई शासन को ही करना होगा। अतः इस वित्तीय हानि से बचाने के लिए भले ही परीक्षायें माह मार्च में स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग आयोजित करें, परन्तु मण्डल द्वारा मुद्रण कराये गये प्रश्न पत्र को ही उपयोग किया जाना न्यायसंगत होगा। ऐसा करने से एक ओर मण्डल द्वारा तैयार की गई गुणवत्तायुक्त प्रश्न पत्रों की औचित्य व सार्थकता बनी रहेगी तथा वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग को इन प्रश्न पत्रों के मुद्रण व्यय से बचाया जा सकता है। ऐसा करने से वित्तीय संसाधनों की हानि नहीं होगी तथा अनावश्यक विवादों से शैक्षणिक गतिविधियों को बचाया जा सकता है। अन्यथा शासन को मण्डल द्वारा की गई उक्त मुद्रण संबंधी व्यय की भरपाई करना होगा। शासन के ध्यान में ये भी लाना आवश्यक है कि मण्डल के कार्यक्षेत्र में प्रश्न पत्रों के मुद्रण की कार्यवाही विधिवत अनुबंध के साथ हुआ है, मुद्रित प्रश्न पत्रों के उपयोग नहीं करने की दशा में भुगतान संबंधी संभावित कानूनी पेचिदगिओं में शासन भी पक्षकार हो जाता है। मण्डल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा आयोजन हेतु राशि वापस करने का शासन का निर्देश को पालन करना उपरोक्तानुसार संभव नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार राज्य शासन को सूचित किया जावे।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

22/2

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ. कमांक/ 203 FM/ सभा/2016, **रायपुर, दिनांक 22/02/2016**

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
2. सचिव/आयुक्त/संचालक/उपसचिव .... नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त माननीय मण्डल सदस्यगण, विधायक सदस्यगण, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर।
4. अध्यक्ष महोदय/सचिव के निज सहायक, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर।
5. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर।
6. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर।
7. समस्त सहायक सचिव/समस्त कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर की ओर पालनार्थ एवं पालन प्रतिवेदन सभा कक्ष को उपलब्ध कराने हेतु।
8. समस्त सहायक प्राध्यापक/पाठ्यकम प्रभारी, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर की ओर पालनार्थ एवं पालन प्रतिवेदन सभा कक्ष को उपलब्ध कराने हेतु।
9. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/सरगुजा, जगदलपुर एवं राजनांदगांव।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर